HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6916/2025

Rjaak Khan S/o Jasmaal Khan, R/o Village Kherli Kaji, Tehsil Pahadi, District Bharatpur, Rajasthan.

---Accused-Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p.
2. Babulal Saini S/o Ramchandra Saini, R/o Plot No. 13, Radha Krishna Nagar, Manyavaas, Mansarovar, Jaipur.
3. Vinod Kumar Sharma S/o Shri Durag Lal Sharma, R/o House No. 520, Devi Nagar, New Sanganer Road, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Liyakat Khan, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Madhu Sudan Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

22/04/2026

1. याची–अभियुक्त की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिवादी–प्रत्यर्थी की ओर से पुलिस थाना–मानसरोवर, जयपुर शहर (दक्षिण) में पंजीबद्ध करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–50/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 316(2), 318(4), 61(2)(a) बी.एन.एस. को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का निवेदन है कि मामला पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी द्वारा कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग के अनुक्रम में दर्ज करवाई गई है। विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय Radheyshyam

Vs. State of Rajasthan 2024 SCC Online SC 2311 प्रस्तुत करते हुए वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता परिवादीगण/अयाचीगण का निवेदन है कि विक्रय अनुबंध दिनांक 03.06.2024 के माध्यम से अभियुक्त द्वारा अपनी भूमि विक्रय करने हेतु अनुबंध करते हुए आंशिक प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली, लेकिन बाद में नीयत बदल जाने से विक्रय अनुबंध की पालना में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करवाया जा रहा है तथा किसी मदनलाल द्वारा मौके पर आकर भूखण्ड की चारदीवारी को क्षतिग्रस्त भी किया गया है और अंत में इस स्टेज पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किये जाने का निवेदन किया।

5. वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से परिवादीगण द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.06.2024 को अपना भूखण्ड परिवादीगण को विक्रय करना तय कर आंशिक प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली और उसके बाद विक्रय पत्र निष्पादित करवाने से इनकार कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही स्पष्ट है कि यह मामला पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, किसी भी अपराध के कोई तत्व प्रकट नहीं हो रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Radheyshyam Vs. State of Rajasthan 2024 (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित व्यवस्था को देखते हुए स्पष्ट है कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध अनुचित दबाव बनाने हेतु दर्ज करवाई गई है। सिविल मामले को आपराधिक रंग दिया गया है, जो स्पष्टतः कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

6. संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार कर याची–अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–50/2025 पुलिस थाना–मानसरोवर, जयपुर शहर (दक्षिण) को

निरस्त किया जाता है तथा उसके आधार पर संस्थित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को भी निरस्त किया जाता है।

संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र व लंबित अन्य आवेदन भी उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /125(S)